न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 18/2019
आरसीएमएस नम्बर : 2019/00035

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
जब्बरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह राजपुरोहित, निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		ग्राम पंचायत जाणुन्दा मार्फत सरपंच ग्राम जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन चौहान
अप्रार्थी अनुपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15.02.2021

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कायम मिसल संख्या 247 दिनांक 03.03.2013 एवं प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 29 दिनांक 05.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने स्वामित्वसुदा व कब्जासुदा भुखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत जाणुन्दा के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 247 दिनांक 03.03.2013 को कायम की गई, लेकिन मिसल की किसी भी ओदशिका पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है, न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है। पट्टा जारी करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना किए बिना ही जारी किए गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। नियम 148 के तहत आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया, उस पर दिनांक का अंकन नहीं है तथा न ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त मिसल का औचित्य ही नहीं रह जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का आवेदन करने पर ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों की पालना नहीं कर आनन–फानन में नियम वि[illegible] जारी कर दिया। जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे का न तो नवीनीकरण करवाया जा सकता है, न ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है तथा न ही उक्त पट्टे [illegible] वह कानूनी रूप से कहीं उपयोग कर सकता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में जारी विक्रय विलेख एवं प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है तथा प्रार्थी स्वयं अपने नाम जारी विक्रय विलेख को निरस्त करवाना चाहता है। इस न्यायालय को यह देखना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो

अति. जिला कलक्टर, पाली

विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों की पालना में जारी किया है या नहीं। मूल रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी जिस भूखण्ड का पट्टा जारी करवाना चाहता है, उसके संबंध में किया गया आवेदन मिसल के संलग्न नहीं है, जबकि बिना आवेदन पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 247 दिनांक 03.03.2013 को कायम की है, लेकिन उक्त मिसल की किसी भी ओदशिका पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है तथा न ही ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है, आक्षेप आमन्त्रित करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया है, उस पर न तो दिनांक का अंकन है, न ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर है, न ही ग्राम पंचायत की मोहर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि जो मिसल कायम की गई है, उसका विधिक रूप से कोई आधार नहीं है तथा जो पट्टा जारी किया गया है, वह प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 की पालना में जारी किया गया है, जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 05.07.2013 के प्रस्ताव संख्या 3 में मिसल संख्या 247 उल्लेख नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में जो विक्रय विलेख जारी किया है, वह पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों के विरूद्ध जाते हुए जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मिसल संख्या 247 दिनांक 03.03.2013 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.07.2013 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 05.07.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत जाणुन्दा को भिजवाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested